

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./ 38 /2025 दिनांक 03.02.2025

श्रीमती कुन्तल जैन (RJ00474), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर को दिनांक 17.02.2025 से 07.03.2025 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 16.02.2025 एवं 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक 03.02.2025

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/20/2005/1057

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 142 दिनांक 09.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कुन्तल जैन (RJ00474), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर।
4. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भरतपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार